



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102025-267025  
CG-DL-E-18102025-267025

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4616]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 4616]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2025

**का.आ. 4745(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 नवम्बर, 2025 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध नागालैंड राज्य के तुएनसांग, मोन्, फेक, किफिरे, पेरेन, लॉगलेंग, शमटोर, नोक्लाक और मेलुरी जिलों के सभी क्षेत्रों में, प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

- (i) धारा 38 से धारा 43;
- (ii) धारा 45क से धारा 45ज;
- (iii) धारा 46 से धारा 75;
- (iv) धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4); और
- (v) धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013/05/2025-एसएस-1]

आशुतोष ए.टी. पेडनेकर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2025

**S.O. 4745(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2025 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force in the entire area of the Tuensang, Mon, Phek, Kiphire, Peren, Longleng, Shamator, Noklak and Meluri Districts in the State of Nagaland, namely: —

- (i) sections 38 to 43;
- (ii) sections 45A to 45H;
- (iii) sections 46 to 75;
- (iv) sub-section (2) to (4) of section 76; and
- (v) sections 82 and 83.

[F. No. S-38013/05/2025-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.